



दैनिक

न्याय साक्षी

अधिकार से न्याय तक

RNI NO - CHHIN/2018/76480 || Postal Registration No-055/Raigarh DN CG || रायगढ़, शनिवार 13 नवंबर 2021 ||

पृष्ठ-4, मूल्य 3 रुपए || वर्ष-04, अंक- 46

महत्वपूर्ण एवं खास

सुप्रीम कोर्ट ने टाली लखीमपुर खीरी मामले की सुनवाई

नई दिल्ली (आरएनएस)। लखीमपुर-खीरी मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को सुनवाई टाल दी। दरअसल, यूपी सरकार ने कोर्ट से सुनवाई की तारीख आगे बढ़ाने की मांग की। इस अपील को मानते हुए कोर्ट ने कहा कि वह इस मामले पर 15 नवंबर को सुनवाई करेगी। लखीमपुर-खीरी मामले पर चीफ जस्टिस एनीरी रमना, जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस हिमा कोहली की बेंच सुनवाई कर रही है। इस मामले में यूपी सरकार की ओर से सीनियर एडवोकेट हरीश सालवे पेश हुए। उन्होंने कोर्ट से दरखास्त की कि कोर्ट उन्हें सोमवार तक का समय दे, ताकि वो केस पर काम पूरा कर सकें। इसके बाद कोर्ट ने उनकी अपील को स्वीकार कर लिया। गोरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर 8 नवंबर को सुनवाई की थी। तब उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से पेश की गई स्टेट्स रिपोर्ट पर सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी जताई थी। कोर्ट ने कहा कि हमें 10 दिन का समय दिया था। इसके बाद भी स्टेट्स रिपोर्ट में कुछ भी नहीं है। सिवाय इतना कहने के कि गवाहों से पूछताल की गई है। कोर्ट ने कहा कि हिंसा के मामले में 13 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, लेकिन सिर्फ आशीष मिश्रा का ही फोन जब्त किया गया है। कोर्ट ने मामले में लैब रिपोर्ट के पेश न किए। जाने पर भी नाराजगी जताई थी।

राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों का वैक्सीन की 121 करोड़ से अधिक खुराकें उपलब्ध कराई गईं

नईदिल्ली (आरएनएस)। केंद्र सरकार देशभर में कोविड-19 टीकाकरण का दायरा बढ़ाने और टीके लगाने की गति को तेज करने के लिये प्रतिबद्ध है। कोविड-19 के टीकों की सर्व-उपलब्धता का नाया दर 21 जून से शुरू किया गया है। टीकाकरण अभियान को अधिक से अधिक वैक्सीन की उपलब्धता के जरिये बढ़ाया गया। इसके तहत गोपनीय और केंद्र शासित प्रदेशों को वैक्सीन की उपलब्धता के बारे में पूर्व सूचना प्रदान की गई, ताकि वे बेहतर योजना के साथ टीके लगाने का बढ़ावा दें और टीके की आपूर्ति श्रृंखला को ढुक्स दिया जा सके। देशव्यापी टीकाकरण अभियान के हिस्से के रूप में केंद्र सरकार राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को निशुल्क कोविड वैक्सीन प्रदान करके उन्हें समर्थन दे रही है। टीकों की सर्व-उपलब्धता के नये चरण में, केंद्र सरकार वैक्सीन निर्माताओं से 75 प्रतिशत टीके खरीदकर उन्हें राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को निशुल्क प्रदान करेगी। केंद्र सरकार द्वारा सभी प्रकार के सोनों से अब तक वैक्सीन की 121 करोड़ से अधिक खुराकें राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को सरकारी स्रोत (निशुल्क) और राज्यों द्वारा सीधी खरीद प्रियंका के जरिये प्रदान की गई हैं। राज्यों के पास वैक्सीन की 18.04 करोड़ से अधिक अतिरिक्त और बिना इस्तेमाल की हुई खुराकें मौजूद हैं, जिन्हें लगाया जाना है।

पूर्व मंत्री गायत्री प्रसाद प्रजापति को गैंग रेप मामले में उम्रकैद लखनऊ (आरएनएस)। समाजवादी पार्टी के नेता और यूपी के पूर्व कैबिनेट मंत्री गायत्री प्रसाद प्रजापति को चित्रकूट की रहने वाली नाबालिंग लड़की के साथ गैंग रेप मामले में आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। गायत्री के साथ दो अन्य आरोपी आशीष शुक्ला और अशोक तिवारी को भी आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। पूर्व मंत्री गायत्री प्रसाद प्रजापति 18 मार्च 2017 में गिरफ्तार हुए थे ये सभी लोग चित्रकूट की रहने वाली उसकी बालिंग लड़की के साथ गैंग रेप के आरोप में गिरफ्तार हुए थे। असल में इस मामले में सुनवाई पूरी हो चुकी थी और दो दिन पहले ही कोर्ट ने सजा सुनाने के लिए आज की तारीख तय की। गैंगरेप और पॉक्सो एक्ट के तहत एमपी-एप्पलेट कोर्ट ने तीनों आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई दी। इसके साथ उनपर 2 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया। मामले में बीते दिनों कोर्ट ने चार आरोपियों को सबूतों के अधार पर बरी कर दिया है और चारों आरोपी जिला जेल से रिहा हो गए हैं। गायत्री प्रसाद प्रजापति, अशोक तिवारी और आशीष शुक्ला को महिला की नाबालिंग लड़की के साथ गैंगरेप करने और महिला के साथ छेड़छाड़ का दोषी पाया है।

दिल्ली सरकार ने एनबीसीसी पर लगाया 5 लाख का जुर्माना, वायु प्रदूषण पर सख्ती

नई दिल्ली (आरएनएस)। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने शुक्रवार को बताया कि पर्वी दिल्ली के कडकड़दूमा में एक परियोजना में धूल नियन्त्रण नियमों का उल्लंघन करने के मामले में ग्राही धनव नियम नियम इनिमिटेड (एनबीसीसी) पर 5 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है।

गोपाल राय ने शुक्रवार से धूल रोधी अभियान के दूसरे चरण की शुरुआत की जो 12 दिसंबर तक चलेगा। उन्होंने कहा कि हमने कडकड़दूमा में एनबीसीसी की एक परियोजना का नियन्त्रण किया आर पाया कि कुछ स्थानों पर धूल नियन्त्रण उपाय नहीं किए गए हैं। अतः कंपनी पर 5 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है। पर्यावरण मंत्री ने कहा कि सभी सरकारी विभागों को धूल रोधी प्रक्रिया बनाने और धूल रोधी संयुक्त सोमवार तक का समय दे, ताकि वो केस पर काम पूरा कर सकें। इसके बाद कोर्ट ने गोरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर 8 नवंबर को सुनवाई की थी। तब उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से एनबीसीसी पर एडवोकेट हरीश सालवे पेश हुए। उन्होंने कोर्ट उन्हें कोर्ट से दरखास्त की कि कोर्ट उन्हें सोमवार तक का समय दे, ताकि वो केस पर काम पूरा कर सकें। इसके बाद कोर्ट ने उनकी अपील को स्वीकार कर लिया। गोरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर 8 नवंबर को सुनवाई की थी। तब उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से एनबीसीसी पर एडवोकेट हरीश सालवे पेश हुए। उन्होंने कोर्ट उन्हें कोर्ट से दरखास्त की कि कोर्ट उन्हें सोमवार तक का समय दे, ताकि वो केस पर काम पूरा कर सकें। इसके बाद कोर्ट ने उनकी अपील को स्वीकार कर लिया। गोरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर 8 नवंबर को सुनवाई की थी। तब उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से एनबीसीसी पर एडवोकेट हरीश सालवे पेश हुए। उन्होंने कोर्ट उन्हें कोर्ट से दरखास्त की कि कोर्ट उन्हें सोमवार तक का समय दे, ताकि वो केस पर काम पूरा कर सकें। इसके बाद कोर्ट ने उनकी अपील को स्वीकार कर लिया। गोरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर 8 नवंबर को सुनवाई की थी। तब उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से एनबीसीसी पर एडवोकेट हरीश सालवे पेश हुए। उन्होंने कोर्ट उन्हें कोर्ट से दरखास्त की कि कोर्ट उन्हें सोमवार तक का समय दे, ताकि वो केस पर काम पूरा कर सकें। इसके बाद कोर्ट ने उनकी अपील को स्वीकार कर लिया। गोरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर 8 नवंबर को सुनवाई की थी। तब उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से एनबीसीसी पर एडवोकेट हरीश सालवे पेश हुए। उन्होंने कोर्ट उन्हें कोर्ट से दरखास्त की कि कोर्ट उन्हें सोमवार तक का समय दे, ताकि वो केस पर काम पूरा कर सकें। इसके बाद कोर्ट ने उनकी अपील को स्वीकार कर लिया। गोरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर 8 नवंबर को सुनवाई की थी। तब उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से एनबीसीसी पर एडवोकेट हरीश सालवे पेश हुए। उन्होंने कोर्ट उन्हें कोर्ट से दरखास्त की कि कोर्ट उन्हें सोमवार तक का समय दे, ताकि वो केस पर काम पूरा कर सकें। इसके बाद कोर्ट ने उनकी अपील को स्वीकार कर लिया। गोरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर 8 नवंबर को सुनवाई की थी। तब उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से एनबीसीसी पर एडवोकेट हरीश सालवे पेश हुए। उन्होंने कोर्ट उन्हें कोर्ट से दरखास्त की कि कोर्ट उन्हें सोमवार तक का समय दे, ताकि वो केस पर काम पूरा कर सकें। इसके बाद कोर्ट ने उनकी अपील को स्वीकार कर लिया। गोरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर 8 नवंबर को सुनवाई की थी। तब उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से एनबीसीसी पर एडवोकेट हरीश सालवे पेश हुए। उन्होंने कोर्ट उन्हें कोर्ट से दरखास्त की कि कोर्ट उन्हें सोमवार तक का समय दे, ताकि वो केस पर काम पूरा कर सकें। इसके बाद कोर्ट ने उनकी अपील को स्वीकार कर लिया। गोरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर 8 नवंबर को सुनवाई की थी। तब उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से एनबीसीसी पर एडवोकेट हरीश सालवे पेश हुए। उन्होंने कोर्ट उन्हें कोर्ट से दरखास्त की कि कोर्ट उन्हें सोमवार तक का समय दे, ताकि वो केस पर काम पूरा कर सकें। इसके बाद कोर्ट ने उनकी अपील को स्वीकार कर लिया। गोरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर 8 नवंबर को सुनवाई की थी। तब उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से एनबीसीसी पर एडवोकेट हरीश सालवे पेश हुए। उन्होंने कोर्ट उन्हें कोर्ट से दरखास्त की कि कोर्ट उन्हें सोमवार तक का समय दे, ताकि वो केस पर काम पूरा कर सकें। इसके बाद कोर्ट ने उनकी अपील को स्वीकार कर लिया। गोरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर 8 नवंबर को सुनवाई की थी। तब उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से एनबीसीसी पर एडवोकेट हरीश सालवे पेश हुए। उन्होंने कोर्ट उन्हें कोर्ट से दरखास्त की कि कोर्ट उन्हें सोमवार तक का समय दे, ताकि वो केस पर काम पूरा कर सकें। इसके बाद कोर्ट ने उनकी अपील को स्वीकार कर लिया। गोरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर 8 नवंबर को सुनवाई की थी। तब उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से एनबीसीसी पर एडवोकेट हरीश सालवे पेश हुए। उन्होंने कोर्ट उन्हें कोर्ट से दरखास्त की कि कोर्ट उन्हें सोमवार तक का समय दे, ताकि वो केस पर काम पूरा कर सकें। इसके बाद कोर्ट ने उनकी अपील को स्वीकार कर लिया। गोरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर 8 नवंबर को सुनवाई की थी। तब उत्तर प्रदेश सरकार की ओर